छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/परीक्षा/2026/ 3234 **रायपुर, दिनांक** 27/08 **/2026**

प्रति,

समस्त प्राचार्या,
शासकीय/निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषयः- छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित जून-2026 (44 वीं काउन्सिल परीक्षा) पाठ्यक्रम जी.एन.एम.- प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के नियमित छात्र/छात्राओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की सूचना बाबत्।

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित जून-2026 (44 वीं काउन्सिल परीक्षा) के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते है। आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 03/09/2026 होगी।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन - पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश निम्न है:-

1. समस्त प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशो का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन करे।

2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. आवेदन केवल प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर एवं संस्था के माध्यम से ही छ.ग. नर्सेस रजिस्टेशन काउन्सिल की ओर प्रेषित करें।

4 जिन परीक्षार्थीयों के नकल प्रकरण बनाये गयें हैं वे परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना हेतु पात्र नही होगें।

5. जी.एन.एम. परीक्षा परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसारपुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करवाने के पात्र होगें।

(अ) जी.एन.एम.- प्रथम /द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो। उक्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना प्रायोगिक व आंतरिक प्रांप्तांक पर लागू नहीं होगा।

(ब) जी.एन.एम.- तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो।
उक्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना प्रायोगिक व आंतरिक प्रांप्तांक पर लागू नहीं होगा।

6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

(अ) पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।

7. आवेदक को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।

8. पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु टी.आर.शीट/ऑनलाईन पेमेंन्ट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।

9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना शुल्क 500 रू. प्रति विषय केवल **Online Payment Mode** द्वारा ही मान्य होगा।

10. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षार्थीयों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबधित संस्था के माध्यम से **Website – www.cgnrc.org** के माध्यम से प्राप्त होगी।

12. परीक्षार्थीयों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।

13. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के लिए छात्रो द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये जाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

14. यदि किसी आवेदक/आवेदिका को आर. टी. आई की तहत उत्तरपुस्तिका से संबंधी जानकारी चाहिए, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के १५ दिवस के भीतर आवेदन करें। अन्यथा छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल, परीक्षा नियमानुसार उत्तरपुस्तिका से संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

15. यदि किसी परिक्षार्थी द्वारा आर. टी. आई की तहत उत्तरपुस्तिका से संबंधी जानकारी चाही गयी है, एंव पुनर्मूल्यांकन एंव पुनर्गणना के लिए भी आवेदन किया गया है तो ऐसे परीक्षार्थी दोनो में से किसी एक के लिए पात्र होगें।

नोटः- 1. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना केवल नियमित परीक्षार्थीयों के लिये ही लागू होगा।

Digitally signed by
Dr.Nidhi Gwalre
Date: 25-08-2026
20:26:27

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ रजि0 नर्सिंग कां0 /2026/ रायपुर, दिनांक / / 2026

प्रतिलिपीः-
1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वेबसाईट प्रति।

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)